



राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 27, गुरुवार, शाके 1934-जनवरी 17, 2013  
Pausa 27, Thursday, Saka 1934-January 17, 2013

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 16, 2013

संख्या एफ.12(6)संसद/2008 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा के परामर्श से, राजस्थान विधान सभा सचिवालय कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सचिवालय कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतनमान) (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये 1 अक्टूबर, 2012 को और से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. अनुसूची-II का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा सचिवालय कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2009 से संलग्न अनुसूची-II के शीर्ष "विशेष वेतन" के नीचे आयी सारणी में,-

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 8 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" 8. ग्रेड वेतन सं. 20 और 21 के पद	600	-	"
------------------------------------	-----	---	---

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित क्रम संख्यांक 8 के पश्चात् निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 9 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

" 9. ग्रेड वेतन सं. 22 और 23 के पद	600	-	"
------------------------------------	-----	---	---

राज्यपाल के आदेश से,  
प्रकाश गुप्ता,  
प्रमुख शासन सचिव।

PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT  
NOTIFICATION

Jaipur, January 16, 2013

No.F. 12(6)Sansad/2008.- In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article, 187 of the Constitution of India, the Governor, after consultation with the Speaker, Rajasthan Legislative Assembly, is pleased to make the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat Staff (Revised Pay) Rules, 2009, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat Staff (Revised Pay) (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall be deemed to have come into force on and from the 1<sup>st</sup> day of October, 2012

2. Amendment of Schedule-II.- In table appearing below the heading "SPECIAL PAY" of Schedule-II appended to the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat Staff (Revised Pay) Rules, 2009,-

(i) the existing serial number 8 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

8. Posts in Grade Pay No. 20 and 21	600	-	"
-------------------------------------	-----	---	---

(ii) after serial number 8, so substituted, the following new serial number 9 and entries

thereto shall be added, namely:-

9. Posts in Grade Pay No. 22 and 23 600 -

**By Order of the Governor,  
Prakash Gupta,  
Principal Secretary to the Government.**

---

**Government Central Press, Jaipur.**